

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय
//आदेश//

भोपाल, दिनांक 13/07/2026

क्रमांक 1/1/3/0003/2026-Sec-1-14(AGR) :- राज्य शासन एतद् द्वारा विभाग के अधीन कार्यरत यांत्रिक सहायक (उपयंत्री) संवर्ग, वेतनमान रूपये 32800-103600 लेवल-08 (पूर्व वेतनमान रूपये PB3 Rs.9300-34800+3200) के अधिकारियों को स्थानापन्न रूप से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सहायक कृषि यंत्री, के पद पर वेतनमान रूपये 56100-177500 लेवल-12 (पूर्व वेतनमान रूपये PB3 Rs.15600-39100+5400) में पदोन्नत किया जाता है :-

क्रमांक	अधिकारी का नाम
1	श्री विश्व विजय मौर्य
2	श्री हनुमान प्रसाद गौतम
3	श्री संजय कुमार शर्मा
4	श्री उदयवीर सिंह
5	श्री अनिल प्रताप सिंह
6	श्री अशोक कुमार शर्मा
7	श्री मनोज कुमार भार्गव
8	श्री पूनमचन्द सिसौदिया
9	श्री सुखराम उईके
10	श्री झामसिंह धुर्वे
11	श्री विश्रामसिंह डोडवे
12	श्री प्रेमचन्द पटेल
13	श्री दीपक डिण्डोर
14	श्री संदीप पीपड़ा
15	श्री इन्दर सिंह धाकड़
16	श्री अनिल कुमार गौड़
17	श्री शांतनु पाण्डेय
18	श्री चितरंजन कुमार
19	श्री अनिल कुमार मिश्रा
20	श्री अंकित कुमार सेन
21	श्री शिवम रघुवंशी
22	श्री पंकज पाटीदार
23	श्री डीलेश्वर बन्देवार
24	सुश्री नेहा द्विवेदी
25	सुश्री अश्विनी सिंह

क्रमांक	अधिकारी का नाम
26	श्री नवीन कुमार
27	श्री राहुल खातरकर
28	श्री शोभित ठवरे

2/ उपर्युक्त पदोन्नति म0प्र0सिविल सेवा(सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए होगी।

3/ प्रमाणित किया जाता है कि नियोक्ताकर्ता अधिकारी द्वारा उपरोक्त पदोन्नतियों में म0प्र0लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) तथा म0प्र0लोकसेवा पदोन्नति नियम 2025 के उपबंधों का और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

4/ उपरोक्त समस्त पदोन्नतियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 13954/2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में पारित किये जाने वाले आदेशों के अध्यधीन होगी।

5/ जिन पदोन्नत शासकीय सेवकों को इस आदेश द्वारा स्वीकृत वेतनमान अथवा इससे उच्च वेतनमान पूर्व में समयमान वेतनमान योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया जा चुका है उन्हें छोड़कर शेष शासकीय सेवकों को म0प्र0लोकसेवा पदोन्नति नियम 2025 के नियम 13 अनुसार आदेश प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण संबंधी विकल्प प्रस्तुत करना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(अवनीश मिश्रा)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

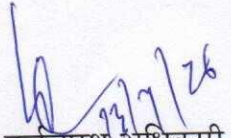
पृष्ठां. क्रमांक 1/1/3/0003/2026-Sec-1-14(AGR)

भोपाल, दिनांक 17/07/2026

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मान.मंत्री जी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, म.प्र. शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग, मंत्रालय।
4. महालेखाकार, ग्वालियर म.प्र.।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय भोपाल।

6. सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
7. सचिव, म.प्र. लोकसेवा आयोग, इंदौर म.प्र.।
8. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास/कृषि अभियांत्रिकी/राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान भोपाल
9. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था/जैविक प्रमाणीकरण/म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड/बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल।
10. संभागायुक्त, संभाग समस्त।
11. कलेक्टर जिला समस्त।
12. समस्त संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र.।
13. समस्त उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास म.प्र.।
14. समस्त कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री।
15. कोषालय अधिकारी, विन्ध्याचल भवन भोपाल।
16. समस्त सहायक कृषि यंत्री, जिला
17. संबधित अधिकारीगण.....
18. आदेश फोल्डर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग